IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पेसा अधिनियम : चुनौतियां और समाधान

शानुददीन

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग

एस डी (पी.जी) कॉलेज, गाजियाबाद ।

सारांश

यह शोधपत्र पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम) की संरचना, उद्देश्यों और कार्यान्वयन की चुनौतियों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत इस अधिनियम को आदिवासी समुदायों को स्वायत्तता और उनके पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को भूमि, जल, वन, और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है और बाहरी हस्तक्षेप से उनकी रक्षा करता है। इसके बावजूद, पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ, जैसे प्रशासनिक जटिलताएँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, जागरूकता का अभाव, और संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण, उभरकर सामने आई हैं। इस शोध में यह पाया गया कि ग्राम सभाओं को दी गई कानूनी शक्तियाँ व्यावहारिक स्तर पर अक्सर निष्प्रभावी हो जाती हैं। आदिवासी समुदायों में इस अधिनियम के प्रति जागरूकता और उनके अधिकारों के प्रति जानकारी की कमी भी इस समस्या को जटिल बनाती है। शोध यह सुझाव देता है कि प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने, जागरूकता अभियान चलाने, और ग्राम सभाओं की क्षमताओं को सशक्त बनाने जैसे सुधार उपाय पेसा अधिनियम के उद्देश्यों को सफल बनाने में सहायक हो सकते हैं। यह अधिनियम आदिवासी समाज के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है यदि इसे सही दिशा में लागू किया जाए।

मुख्य बिंदु: ऐतिहासिक एवं सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य, विशेषताएं और महत्व, चुनौतियां, समाधान

परिचय

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA Act) भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का एक महत्वपूर्ण विस्तार है, जिसे विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन के अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया। भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके पारंपरिक स्वशासन की व्यवस्था को बहाल करने के प्रयास में पेसा अधिनियम का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आदिवासी समुदाय अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक निर्णय स्वयं ले सकें और अपनी स्थानीय संसाधनों पर अधिकार प्राप्त कर सकें। यह अधिनियम ग्राम सभाओं और पंचायतों को प्रमुख निर्णय लेने की शक्तियाँ देता है, जैसे भूमि अधिग्रहण, खनिज संपदा का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सामाजिक विवादों का समाधान करना। इस अधिनियम के तहत आदिवासी समाज को उनके पारंपरिक अधिकारों का सम्मान करने और स्थानीय स्तर पर बाहरी हस्तक्षेप को कम करने का प्रावधान किया गया है।

हालाँकि, पेसा अधिनियम का उद्देश्य बहुत व्यापक और सशक्तिकरणकारी है, परन्तु इसके कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक हस्तक्षेप, राजनीतिक दबाव, और नौकरशाही की जटिलता जैसी समस्याएँ स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, संसाधनों पर बाहरी कंपनियों का अत्यधिक नियंत्रण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का हनन पेसा अधिनियम की आत्मा के विपरीत है। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों की एक बड़ी संख्या पेसा अधिनियम के प्रावधानों और उनके अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है, जिससे वे अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। पेसा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की अस्पष्टता और राज्य सरकारों के बीच इसकी अलग-अलग व्याख्या भी इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रकार, पेसा अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और संसाधनों पर नियंत्रण दिलाने हेतु इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सुधार, स्थानीय जागरूकता में वृद्धि और प्रशासनिक पारदर्शिता अनिवार्य है। इस शोध का उद्देश्य पेसा अधिनियम के समक्ष उत्पन्न हो रही इन प्रमुख चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण करना और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करना है।

पेसा अधिनियम की अवधारणा

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम), भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243M और 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देने के लिए बनाया गया एक विशेष विधेयक है। इसका उद्देश्य आदिवासी समाजों को उनके पारंपरिक सामाजिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। यह अधिनियम ग्राम सभाओं को भूमि, जल, और जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार देता है और उन्हें भूमि अधिग्रहण, खनन, और विकास परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाता है। पेसा की अवधारणा विकेंद्रीकरण और स्वशासन के गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित

है, जो आदिवासी समाजों को उनकी विशिष्ट सामाजिक संरचनाओं के अनुरूप स्वायत्तता प्रदान करता है। यह अधिनियम आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों को संरक्षित करने के साथ-साथ उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है (Sharma & Mishra, 2018)। यह अधिनियम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (UNDRIP) के प्रावधानों के साथ भी मेल खाता है, जो स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा पर जोर देता है (United Nations, 2007)। पेसा अधिनियम आदिवासी समाजों के सशक्तिकरण और उनकी पहचान के संरक्षण के लिए एक समग्र और प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

पेसा अधिनियम का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

आजादी के बाद, भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान किए। भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची ने आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान किया। पाँचवीं अनुसूची के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन के लिए राज्यपाल और केंद्र सरकार को अधिकार दिए गए। हालांकि, 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जब पंचायत राज प्रणाली लागू की गई, तो यह देखा गया कि आदिवासी क्षेत्रों में इस ढांचे को उनकी परंपरागत व्यवस्था के अनुसार लागू करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप, 1996 में पेसा अधिनियम अस्तित्व में आया, जो आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन और ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार प्रदान करता है (Bijoy, 2010)।

पेसा अधिनियम का निर्माण आदिवासी आंदोलनों के दबाव और उनके अधिकारों को लेकर बढ़ती संवैधानिक और कानूनी जागरूकता का नतीजा है। यह अधिनियम गांधी के "ग्राम स्वराज" के विचार से भी प्रेरित है, जिसमें ग्राम स्तर पर स्वायत्तता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को महत्व दिया गया था। इसके साथ ही, यह संयुक्त राष्ट्र के स्वदेशी अधिकारों पर घोषणा (UNDRIP) और वैश्विक स्तर पर आदिवासी अधिकारों के बढ़ते महत्व के साथ भी मेल खाता है (United Nations, 2007)। इस प्रकार, पेसा अधिनियम का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, आदिवासी संघर्षों, और अंतरराष्ट्रीय आदिवासी अधिकारों के विकास का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है।

पेसा अधिनियम का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम), भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर विकेंद्रीकरण, स्वशासन, और सामुदायिक अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित है। इस अधिनियम का सैद्धांतिक ढांचा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40, 243M, और 244(1) में निहित है, जो पंचायत राज प्रणाली और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों का समर्थन करता है। यह आदिवासी समुदायों की पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को संरक्षित करने और उन्हें विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए बनाया गया है। पेसा अधिनियम का सैद्धांतिक आधार महात्मा गांधी के "ग्राम

स्वराज" के विचार से प्रेरित है, जो ग्राम स्तर पर स्वायत्तता और सामुदायिक सहभागिता पर बल देता है। यह अधिनियम स्थानीय स्वशासन के माध्यम से आदिवासी समाजों को उनके पारंपरिक संसाधनों और संस्कृति पर नियंत्रण प्रदान करने की दिशा में कार्य करता है (Sharma & Mishra, 2018)।

पेसा अधिनियम का एक अन्य सैद्धांतिक पहलू अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों और स्वदेशी अधिकारों की मान्यता से जुड़ा है। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र के स्वदेशी अधिकारों पर घोषणा (UNDRIP) के 'फ्री, प्रायर, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट' (FPIC) सिद्धांत के अनुरूप है, जो स्वदेशी समुदायों को उनके भूमि, जल, और जंगल पर अधिकार सुनिश्चित करता है (United Nations, 2007)। इसके अतिरिक्त, यह ब्रंटलैंड कमीशन की "सस्टेनेबल डेवलपमेंट" अवधारणा का भी समर्थन करता है, जिसमें स्थानीय समुदायों को संसाधनों के प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका प्रदान की जाती है। पेसा का सिद्धांत ग्राम सभा को भूमि अधिग्रहण, खनन, और विकास परियोजनाओं के मामलों में निर्णायक बनाने पर आधारित है, जिससे सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता को प्रोत्साहन मिलता है। यह अधिनियम लोक प्रशासन में पारंपरिक ज्ञान, सामुदायिक सहभागिता, और स्थानीय निर्णय लेने को प्राथमिकता देकर भारतीय लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण के माध्यम से सशक्त करता है (Mehta & Patnaik, 2019)।

वर्तमान समय में पेसा अधिनियम की विशेषताएं और महत्व

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम) वर्तमान समय में आदिवासी समाजों के सशक्तिकरण और उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का एक प्रमुख उपकरण है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सर्वोच्च प्राधिकरण मानते हुए भूमि अधिग्रहण, खनन, और विकास परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। पेसा अधिनियम प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, और जमीन पर आदिवासी समुदायों का नियंत्रण सुनिश्चित करता है, जो उनके पारंपरिक जीवन और आजीविका का मुख्य आधार हैं। इसके माध्यम से ग्राम सभाओं को स्थानीय विवादों को हल करने और पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार न्याय देने का अधिकार भी मिलता है (Sharma & Mishra, 2018)। यह अधिनियम विकेंद्रीकरण और स्वशासन के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है और गांधी के "ग्राम स्वराज" के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है।

पेसा अधिनियम का महत्व इसके पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण, और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ सामंजस्य में निहित है। यह स्थानीय समुदायों को उनके जंगलों और खनिज संसाधनों के प्रबंधन में शामिल कर पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। साथ ही, यह आदिवासी समाजों को विकास परियोजनाओं में सक्रिय भागीदार बनाकर उनके हितों की रक्षा करता है। यह अधिनियम सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आदिवासी समाजों को लोकतांत्रिक प्रणाली में सम्मिलित करने का एक अनूठा उदाहरण है, जो न केवल भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची का विस्तार करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे संयुक्त राष्ट्र के स्वदेशी अधिकारों पर घोषणा (UNDRIP) का भी पालन करता है (United

Nations, 2007)। इस प्रकार, पेसा अधिनियम वर्तमान समय में आदिवासी सशक्तिकरण और संसाधन प्रबंधन का एक प्रभावी ढांचा प्रस्तुत करता है।

पेसा अधिनियम की चुनौतियां

पेसा अधिनियम, 1996, आदिवासी समाजों को सशक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी चुनौती अधिनियम के प्रावधानों को राज्यों द्वारा प्रभावी रूप से लागू न कर पाना है। कई राज्यों ने अब तक पेसा के तहत अपेक्षित नियमों को अधिसूचित नहीं किया है, जिससे ग्राम सभाओं को उनके अधिकार नहीं मिल पाए हैं (Sharma & Mishra, 2018)। इसके अलावा, बाहरी कंपनियों और प्रशासनिक तंत्र द्वारा खनिज संसाधनों और भूमि पर अधिकार जमाने की कोशिशें आदिवासी समुदायों के स्वायत्तता अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। नौकरशाही की जटिलता और राजनीतिक हस्तक्षेप भी ग्राम सभाओं के अधिकारों को सीमित करते हैं।

सामाजिक स्तर पर जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों का प्रभावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं। ग्राम सभाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। आर्थिक दृष्टि से, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण आदिवासियों की आजीविका और विकास को बाधित करता है। इसके अलावा, स्थानीय प्रशासन और ग्राम सभाओं के बीच समन्वय की कमी और अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों के प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव भी बड़ी चुनौतियों के रूप में उभरे हैं (Mehta & Patnaik, 2019)। इस प्रकार, पेसा अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक

पेसा अधिनियम के समाधान

पेसा अधिनियम, 1996 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चुनौतियों को दूर करने हेतु बहुआयामी समाधान आवश्यक हैं। सबसे पहले, राज्यों को अधिनियम के तहत नियमों और दिशानिर्देशों को अधिसूचित करने और ग्राम सभाओं को उनके अधिकार देने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए। ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे प्रभावी निर्णय ले सकें। जागरूकता अभियान और शिक्षा के माध्यम से आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए (Sharma & Mishra, 2018)। इसके अलावा, बाहरी हस्तक्षेपों और अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रभावी निगरानी और जवाबदेही तंत्र स्थापित करना आवश्यक है।

स्थानीय प्रशासन और ग्राम सभाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम सभाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करें, राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही नियंत्रण को कम किया जाना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे कि ई-गवर्नेंस और रियल-टाइम निगरानी प्रणाली,

अपनाई जा सकती है (Mehta & Patnaik, 2019)। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में आदिवासी परंपराओं और ज्ञान को शामिल करना उनके अधिकारों को संरक्षित करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इन उपायों के माध्यम से पेसा अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

पेसा अधिनियम, 1996, आदिवासी समुदायों के स्वशासन, उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा, और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कानून है। यह अधिनियम भारतीय संविधान के विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सशक्त करता है, साथ ही आदिवासी समाजों की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को संरक्षित करने का प्रयास करता है। हालांकि, पेसा के कार्यान्वयन में राज्यों की निष्क्रियता, जागरूकता की कमी, और बाहरी हस्तक्षेप जैसी चुनौतियां सामने आई हैं, जिनका समाधान करना अनिवार्य है।

आगे बढ़ने के लिए, पेसा अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना, और आदिवासी समाजों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकास और संसाधन प्रबंधन के मामलों में उनकी भागीदारी निष्पक्ष और प्रभावी हो। पेसा न केवल आदिवासी समाजों के सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि यह पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देता है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह अधिनियम आदिवासी समुदायों के लिए सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Sharma, R., & Mishra, P. (2018). Challenges in Implementing the PESA Act in Tribal Areas. Economic and Political Weekly, 53(20),22-25.
2. United Nations. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). United Nations.
3.Bijoy, C. R. (2010). Forest Rights Struggles in India: Tribal Rights and State Accountability. Economic and Political Weekly, 45(33),64-71.
4.Mehta, R., & Patnaik, N. (2019). Rights and Governance: Tribal Communities and PESA. Development and Society, 45(1), 68-82.
5.Banerjee, S., & Mukherjee, R. (2020). Tribal Rights and

Governance in India: Issues and Challenges. Indian Journal of Rural Development,39(2), 144-158.

6.Bhalla, G. S. (2007). Panchayati Raj Institutions and Rural Development in India. New Delhi: Concept Publishing Company.

7.Chakma, N. (2011). PESA and Tribal Rights: Implementation and Challenges. Social Change, 41(2), 137-146.

8.Chandhoke, N. (2009). Democracy and Well-Being in India. New Delhi: Routledge.

9.Chaudhuri, S., & Das, B. (2018). Land, Rights and Development in India: Understanding the Role of PESA Act. Journal of Tribal Studies,27(1), 53-68.

10.Choudhary, A. (2016). Self-Governance and Tribal Communities:Evaluating PESA in India. International Journal of Social Science and Humanity, 6(5), 387-391.

11.Das, A. K., & Das, P. (2017). Decentralization and Tribal Rights in India. Journal of Rural Development, 38(1), 41-58.

12.Department of Rural Development. (2021). Panchayat Extension to Scheduled Areas (PESA) Implementation Report. New Delhi: Ministry of Rural Development.

13.Fernandes, W., & Bharali, G. (2006). Development-Induced Displacement and Tribal Rights in India. Indian Journal of Political Science, 67(2), 285-299.

14.Ghosh, S. (2015). Adjudicating Tribal Rights: A Study of the Indian Legal Framework on Tribal Rights and Governance. Social Change,45(3), 318-330.

15.Government of India. (1996). Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act. Ministry of Panchayati Raj, New Delhi.

16.Government of India. (2019). Annual Report on Panchayati Raj Institutions in India. Ministry of

Panchayati Raj, New Delhi.
17. Gurung, S. (2020). Issues in the Implementation of the Forest Rights Act in India. Forest Policy and Economics, 19(2), 92-103.
18. Kothari, A. (2011). Decentralization and Governance of Natural Resources in India. New Delhi: Oxford University Press.
19. Mahapatra, L. K. (2007). Tribal Rights and Policies in India: An Analytical Overview. Man in India, 87(1), 1-18.
20. Ministry of Tribal Affairs. (2021). Scheduled Tribes and Tribal Areas in India: A Policy Framework. New Delhi: Ministry of Tribal Affairs.
21. Mohapatra, S. K. (2010). Tribal Development and Issues of Self-Governance in India. The Eastern Anthropologist, 63(1-2), 29-43.
22. Nanda, A. (2014). Development and Displacement of Tribal People in India. Social Action, 64(1), 30-40.
23. National Institute of Rural Development. (2018). PESA and the Panchayati Raj System in Scheduled Areas. Hyderabad: NIRD.
24. National Sample Survey Office. (2020). Report on the Status of Scheduled Tribes in Rural India. New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation.
25. Oommen,T. K. (2010). Revolution of Decentralization in India: Experiences of the Panchayati Raj System. Economic and Political Weekly, 45(21), 53-62.
26. Paliwal, R. (2012). Tribal Rights and the Politics of Governance in India. International Journal of Rural Studies, 19(2), 47-58.
27. Panda,S., & Sharma, J. (2013). Impact of PESA Act on Tribal Governance in India. Rural Development Quarterly, 14(3),115-126.
28. Planning Commission of India. (2008). Eleventh Five Year Plan (2007–2012): Social Justice and

Empowerment. New Delhi: Government of India.

29. Pradhan, A. (2018). Decentralized Governance and Tribal Self-Determination: Case Studies from India. Journal of Social and Economic Development, 20(1), 73-87.

30. Rao, M. K., & Singh, J. P. (2016). Evaluating PESA and its Impact on Tribal Societies in India. Tribal Affairs Journal, 4(2), 21-35.